

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक:-6/वि01-1042/2025-

288

पटना-15, दिनांक:- 25.2.25

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत विभिन्न प्रमण्डल में जलस्तर में कमी की स्थिति में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजना के तहत नये चापाकलों का निर्माण हेतु ₹1496.24 लाख (चौदह करोड़ छियानवे लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति।

**आदेश-** राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत विभिन्न प्रमण्डल में जलस्तर में कमी की स्थिति में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजना के तहत नये चापाकलों का निर्माण हेतु ₹1496.24 लाख (चौदह करोड़ छियानवे लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र की राशि पर राज्य योजना मद के अंतर्गत योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजटीय उपबंध अंतर्गत

(I) मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति-मांग संख्या-36-उपशीर्ष-0103-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)-विपत्र कोड-36-4215011020103-विषय शीर्ष-0103.53.01-मुख्य निर्माण कार्य

(II) मुख्य शीर्ष- 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या- 36-उपशीर्ष-0111- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)-विपत्र कोड-36-4215017890111-विषय शीर्ष-0111.53.01-मुख्य निर्माण कार्य एवं

(III) मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या- 36-उपशीर्ष-0107-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)-विपत्र कोड-36-4215017960107-विषय शीर्ष-0107.53.01-मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

3. इस योजना की तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता (रूपांकण) द्वारा प्रदान की गई है।

4. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलावार चापाकलों का प्रकार, लक्ष्य एवं राशि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल होंगे। योजना पर हाने वाला व्यय स्वीकृति राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

6. योजना क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
7. इस योजना को 04 (चार) माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
8. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में गर्मी एवं लू की स्थिति तथा जिलों में जलस्तर के गिरावट के कारण ग्रीष्म ऋतु में संभावित पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु नये चापाकलों का निर्माण किया जाना है।
9. इस योजना अंतर्गत चापाकलों के निर्माण स्थल चयन में जिला पदाधिकारी के अनुशंसा पर मतदान केन्द्रों, विद्यालयों, एस0सी0-एस0टी0 बसावटों तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया जाना है।
10. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का क्रियान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे। भूगर्भीय जल स्तर एवं भूगर्भीय संरचना के आलोक में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नलकूपों के प्रकार में परिवर्तन, स्वीकृत राशि के अंतर्गत किया जा सकता है।
11. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित क्रियान्वयन के क्रम में कम-से-कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।
12. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
13. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
14. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
15. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि (2), दिनांक-03.01.2008 एवं संकल्प संख्या-एम4-53/2007/12888/वि0, दिनांक-03-12-24 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
16. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
17. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में इस योजना के स्वीकृति की अनुशंसा दिनांक-06.01.2026 को हुई विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गयी है। साथ ही वित्त विभाग के पत्रांक-917 दिनांक-01.12.2025 के आलोक में स्कीम स्क्रीनिंग समिति द्वारा दिनांक-13.02.2026 को सम्पन्न बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।
18. सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जायेगी।
19. वर्ष 2025-26 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

20. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक-6/वि01-1042/2025- 288 पटना-15, दिनांक:- 25-2-26

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/संयुक्त सचिव/ मुख्य अभियन्ता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/ मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) /अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/ बजट पदाधिकारी/उप निदेशक (मू0)/उप निदेशक (अन्वेषण)/ प्रशाखा-6/ कार्यवाह सहायक-6/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार/ सभी अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बिहार/संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

5. सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में जल स्तर में कमी की स्थिति तथा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नये चापाकलों का निर्माण कार्य

SI No.	Name of District	Name of P.H. Division	Construction of 125mmX40mmX61M deep tube well with IM-II Hand pump @ 0.85900 Lakh		Total No. of Hand Pumps	Total Amount for construction of Hand Pumps		Construction of 1.0 m dia X 2.0 m Deep Soakpit @ 0.085 Lakh		Total Amount
			Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)		Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)	Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Patna East	Patna East	45	38.65500	45	38.65500	45	3.82500	42.48000	
2	Patna West	Patna West	45	38.65500	45	38.65500	45	3.82500	42.48000	
3	Biharsharif	Biharsharif	50	42.95000	50	42.95000	50	4.25000	47.20000	
4	Hilsa	Hilsa	45	38.65500	45	38.65500	45	3.82500	42.48000	
5	Ara	Ara	30	25.77000	30	25.77000	30	2.55000	28.32000	
6	Buxar	Buxar	30	25.77000	30	25.77000	30	2.55000	28.32000	
7	Arwal	Arwal	25	21.47500	25	21.47500	25	2.12500	23.60000	
8	Sasaram	Sasaram	40	34.36000	40	34.36000	40	3.40000	37.76000	
9	Bhabhua	Bhabhua	40	34.36000	40	34.36000	40	3.40000	37.76000	
10	Aurangabad	Aurangabad	40	34.36000	40	34.36000	40	3.40000	37.76000	
11	Gaya	Gaya	40	34.36000	40	34.36000	40	3.40000	37.76000	
12	Sherghati	Sherghati	40	34.36000	40	34.36000	40	3.40000	37.76000	
13	Jahanabad	Jahanabad	45	38.65500	45	38.65500	45	3.82500	42.48000	
14	Nawada	Nawada	40	34.36000	40	34.36000	40	3.40000	37.76000	
15	Bhagalpur East	Bhagalpur East	35	30.06500	35	30.06500	35	2.97500	33.04000	
16	Bhagalpur West	Bhagalpur West	35	30.06500	35	30.06500	35	2.97500	33.04000	
17	Munger	Munger	35	30.06500	35	30.06500	35	2.97500	33.04000	

(4)

Sl No.	Name of District	Name of P.H. Division	Construction of 125mmX40mmX61M deep tube well with IM-II Hand pump @ 0.85900 Lakh		Total No. of Hand Pumps	Total Amount for construction of Hand Pumps		Construction of 1.0 m dia X 2.0 m Deep Soakpit @ 0.085 Lakh		Total Amount
			Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)		Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)	Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Jaumi	Jaumi	100	85.90000	100	85.90000	100	8.50000	94.40000	
19	Shekhpura	Shekhpura	50	42.95000	50	42.95000	50	4.25000	47.20000	
20	Khaghariya	Khaghariya	100	85.90000	100	85.90000	100	8.50000	94.40000	
21	Lakhisarai	Lakhisarai	25	21.47500	25	21.47500	25	2.12500	23.60000	
22	Hajipur	Hajipur	500	429.50000	500	429.50000	500	42.50000	472.00000	
23	Chhapra	Chhapra	100	85.90000	100	85.90000	100	8.50000	94.40000	
24	Motihari	Motihari	50	42.95000	50	42.95000	50	4.25000	47.20000	
Total			1585.0000	1361.5150	1585.0000	1361.5150	1585.0000	134.7250	1496.2400	

Technically approved for Rs 1496.2400 lakh (Rs. fourteen crore ninety six lakh twenty four thousand) only - for A.A.

*[Signature]*  
19/12/2025

*[Signature]*  
19/12/2025

*[Signature]*  
19/12/2025

*[Signature]*  
19/12/2025

*[Signature]*  
19/12/2025

*[Signature]*  
19/12/2025